



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु०-कीर्तिनगर



Phone no./Fax no. 01370-260070

E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 168 / 33 सी

दिनांक 06/09/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
टिहरी वन प्रभाग
नई टिहरी।

विषय - जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटघार, धानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

महोदय,

उपरोक्त विषयक वर्णित मार्ग की सैद्धान्तिक स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पत्रांक 8वी०/यू०सी०पी०/०६/२८/२०१९/एफ०सी०/१६१६ दिनांक २२.१०.२०२० द्वारा प्राप्त जिसकी अनुपालन आख्या आपको पूर्ण रूप से पांच-पांच प्रतियों में प्रेषित की जा रही है।

- शर्त सं० 1 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 2 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जाये। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 3(क) :- के अनुपालन में प्रस्तावक विभाग के व्यय पर २.१०४ हे० ग्राम भदली पट्टी पौड़ीखाल सिविल की खसरा सं० ४८, १३४५ एवं खाता संख्या-१०/१११ सिविल सोयम वनभूमि में प्रतिपूरक वनीकरण एवं १० वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० ७०९४३५.०० की धनराशि ऑनलाइन चालान द्वारा दिनांक १८.०५.२०२१ को जमा कर दी गई है। जहाँ तक व्यवहारिक होगा, स्थानीय स्वेदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेशन से बचा जायेगा (चालान की प्रति एवं प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 3(ख) :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु गैर वानिकी भूमि को वन विभाग के पक्ष में जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल के आदेश सं० १६९/४१-१९(२०२०-२१) दिनांक नई टिहरी, दिसम्बर ०७, २०२१ को हस्तान्तरित एवं नामान्तरित किया गया है (आदेश की प्रति संलग्न) तथा इस भूमि की राज्य अभिलेखों में वन विभाग के नाम इन्द्राराजी की गई है। (प्रमाण पत्र संलग्न) भारतीय वन अधिनियम १९२७ के अन्तर्गत विधिवत स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 3(ग) :- के अनुपालन में अवगत कराना है कि सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। जिस हेतु वन मंडल अधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा रहा है। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 4 :- के अनुपालन में एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि रू० ६९११६४.०० दिनांक १८.०५.२०२१ को ऑन लाईन चालान के माध्यम से जमा की जा चुकी है (चालान की प्रति एवं प्रमाण-पत्र संलग्न है)।
- शर्त सं० 4(ख) :- के अनुपालन में यदि एन०पी०बी० की दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 5 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जायेगा। प्रस्ताव के अनुसार ०९ वृक्षों से अधिक नहीं होगी। तथा इस कार्यालय द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 6 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी०, क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वृक्षारोपण वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/जमा की जाने वाली धनराशि केवल ई-पोर्टल के माध्यम से जमा की गई है (चालान की प्रति संलग्न)।
- शर्त सं० 7 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा गाईड लाईन में दिये गये दिशा निर्देशों के पैरा ११.२ के अनुसार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति आपको उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से १ वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लिखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 8 :- के अनुपालन में एफ०आर०ए० २००६ का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से किया जायेगा (प्रमाण-पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 9 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई०आर०सी० मानदण्डों के अनुसार पर सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों-बीच पौधों की संख्या बढ़ायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।

- शर्त सं० 10 के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गतिविधियमन साईनेज लगाये जायें (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 11 :- के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
- शर्त सं० 12 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की बिना पूर्वानुमति के ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 13 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 14 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान कार्य स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्य वनविभाग अथवा वनविकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, जिससे कि निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 15 :- के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के सीमांकन का प्राक्कलन सम्बन्धित राजि अधिकारी से तैयार कराकर प्राक्कलनानुसार धनराशि इस कार्यालय के पत्रांक 1624/33सी0 दिनांक 02.09.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी नरेन्द्रनगर वनप्रभाग के पक्ष में बैंक ड्राफ्ट सं० 460313 दि० 31.08.2024 द्वारा रू० 3009600.00 जमा की गई है। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 16 :- के अनुपालन में अवगत कराना है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।
- शर्त सं० 17 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 18 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 19 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपरोक्त समस्त शर्तों का अनुपालन किया जायेगा। (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 20 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण एवं विकास के हित में समय-समय पर अन्य शर्तें लागू की जाती हैं उसका पालन किया जायेगा (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 21 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण किया जायेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरें। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जायेगा, मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को साँपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई नहीं की जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 22 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यदि इस प्रस्ताव पर कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि लागू होते हैं तो उनकी जरूरी अनुमति ली जायेगी (प्रमाण पत्र संलग्न)।
- शर्त सं० 23 :- के अनुपालन में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल पर भी अपलोड की जायेगी।
- संलग्न - उपरोक्तानुसार पांच-पांच प्रतियों में।

ok

(इ० मा० प्ररिफ खान)
अधिरासी अभियन्ता
अ०ख०,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु०- कीर्तिनगर

दिनांक 06/09/2024

पत्रांक 1681/33 सी

प्रतिलिपि अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी देहरादून को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता 8वां वृत्त लो०नि०वि० नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

ok

अधिरासी अभियन्ता
अ०ख०,लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु०- कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-1 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन भूमि की विधिक परिस्थितियों में कोई बदलाव नहीं किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर





अधिरासी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-2 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना के लिये आवश्यक गैर वन भूमि वन विभाग को सौंपे जाने के पश्चात ही वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपी जायेगी।



सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर


अधिशाली अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-3 (क) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावक विभाग के व्यय पर 2.104 हे० ग्राम भदली पट्टी पौड़ीखाल सिविल की खसरा सं० 48, 1345 एवं खाता सं० 10/111 सिविल सोयम वनभूमि में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा एवं जहाँ तक व्यवहारिक होगा, स्थानीय स्वेदेशी प्रजातियों को लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल प्लान्टेशन से बचा जायेगा। प्रतिपूरक वनीकरण के 10 वर्षों तक रख-रखाव हेतु रू० 709435.00 की धनराशि ऑन लाईन चालान के माध्यम से दिनांक 18.05.2021 को जमा की जा चुकी है।



सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर



अधिशासी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

उत्तराखण्ड सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं० 08बी/यू०सी०पा०/०६/२०
/2019/एफ०सी०/1616 दिनांक 22.10.2020 के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चौण्डी से
भदली-घटधार-थानकोट घेरा होते हुए सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052हे० वन भूमि का गैर
बानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान की गई है।
जिसकी शर्त सं० 3(क) में उल्लेख किया गया है कि वन विभाग प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 2.104हे० गैर
बानिकी भूमि ग्राम जामटी(भदली) सिविल खसरा सं० 48,134 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।

उक्त के कम उपजिलाधिकारी टिहरी द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं०
1514/वै०सहा०-विविध/2021 दिनांक 22.09.2021 एवं पत्र सं० 70/वै०सहा०-विविध/2021 दिनांक 24.11.2021
में उल्लेख किया है कि चौण्डी से भदली-घटधार-थानकोट घेरा होते हुए सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के
निर्माण हेतु 1.052हे० वन भूमि के एवज में ग्राम भदली ज०वि०र०ख०तौनी खाता सं० 10/11 में दर्ज खसरा सं०
48/1.538हे०,134/0.566हे० कुल 02 खेत रक्वा 2.104 हे० भूमि क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित की गई है। उक्त भूमि पर
जंगल है, जिसका इस्तेमाल ग्रामीण चारा-पत्ती के लिए करते हैं। वर्तमान समय में किसी भी ग्रामीण द्वारा उक्त
भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया है। यह भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड के अन्तर्गत नॉन जेड०ए०
ख०तौनी खाता सं० 10/111 में दर्ज अभिलेख है। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा सं०	अर्जित रक्वा (हे०)	भूमि की किस्म
1	2	3	4	5	6
भदली	पौड़ीखाल	10/111	48	1.538हे०	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग 9(3)ड
			1345म०	0.566हे०	
			योग-	2.104हे०	

प्रस्तावित जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चौण्डी से भदली-घटधार-थानकोट घेरा होते हुए
सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश
संख्या-2882/XVIII(II)/11-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक 11 नवम्बर 2011 एवं शासनादेश
संख्या-2365/XVIII(II)/13-18 (120)/2010 टी०सी० दिनांक 14 अक्टूबर 2013 के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार
प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा०
उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक
विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या:-2173/XVIII(II)/2012-18(120)/2010 राजस्व अनुभाग-2 दिनांक
17 दिसम्बर 2012 के क्रम में उप जिलाधिकारी टिहरी के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये
कुल रक्वा 2.104 हे० सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग
उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार जाखणीधार तत्काल उक्त
भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करे।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या-169 /XI-19 (2020-21)दिनांक,नई टिहरी, दिसम्बर, ०७,2021.

- प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-
- 1- सचिव,वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
 - 2- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
 - 3- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
 - 4- नोडल अधिकारी,वन भूमि हस्तान्तरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
 - 5- प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
 - 6- अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लो०नि०वि० श्रीनगर मु०-कीर्तिनगर।
 - 7- उप जिलाधिकारी जाखणीधार।
 - 8- तहसीलदार जाखणीधार को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

18-05-2021

Handwritten notes and dates at the top of the page.

AGENCY COPY

Union Bank of India logo and name.

AGENCY COPY

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 18-05-2021

Handwritten calculations: CA -> 709435.00, NPV -> 691164.00, total 1400599.00.

Table with fields: Client Code (CAM5089), Location (UTTARANCHAL), Remitter Name (PWD), PIF/Application No. (6135909566), MoEF/SG File No. (88/UCP/06/28/2019/FC), Address (T.D., P.W.D. SRINAGAR, H.Q. - KIRTINAGAR, TEHRI GARHWAL, UTTARAKHAND Tehri Garhwal), Remitter Contact No., Email-Id, Mobile No., Landline No., Amount (1400599/-), Beneficiary Branch and Code (Union Bank Of India Lodhi complex (03712)).


Amount in Words: Fourteen Lakh Five Hundred and Ninety-Nine Rupees Only

Signature of Executive Engineer, Sr. Srinagar.

Bank Official (Signature)

Table with fields: Bank's Transaction Number (0371220210607), Branch Stamp.

- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction.
Challan should only be accepted against INST/DD.
Enter the Remitter Name in Additional Information 1.
Enter the Remitter Mobile Number in Additional Information 2.



After making such payment, User Agencies :-


Note: After making the required payment through c... then kindly mail a copy of your challan with transac Email: epurse@unionbankofindia.com


मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-3 (ख) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा चयनित ग्राम भदली पट्टी पौड़ीखाल सिविल की गैरवानिकी भूमि को वनविभाग के पक्ष में हस्तान्तरित/नामान्तरित कर दिया गया है तथा इस भूमि की राज्य अभिलेखों में वन विभाग के नाम इन्द्राराजी की जा चुकी है।

भारतीय वन अधिनियम 1927 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति से पूर्व आरक्षित/संरक्षित वन घोषित करवाने सम्बन्धी कार्यवाही पूर्ण की जायेगी।


सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर


अधिशासी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

राज्य सरकार, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के पत्र सं० 08बी/यू०सी०पी०/०६/२०/२०१९/एफ०सी०/१६१६ दिनांक २२.१०.२०२० के द्वारा जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चौण्डी से भदली-घटधार-थानकोट घेरा होते हुए सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु १.०५२ हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृती प्रदान की गई है। जिसकी शर्त सं० ३(क) में उल्लेख किया गया है कि वन विभाग प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर २.१०४ हे० गैर वानिकी भूमि ग्राम जामटी(भदली) सिविल खसरा सं० ४८,१३४ में प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा।

उक्त के कम उपजिलाधिकारी टिहरी द्वारा अपने कार्यालय पत्र सं० १५१४/वै०सहा०-विविध/२०२१ दिनांक २२.०९.२०२१ एवं पत्र सं० ७०/वै०सहा०-विविध/२०२१ दिनांक २४.११.२०२१ में उल्लेख किया है कि चौण्डी से भदली-घटधार-थानकोट घेरा होते हुए सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु १.०५२ हे० वन भूमि के एवज में ग्राम भदली ज०वि०र०ख०तौनी खाता सं० १०/११ में दर्ज खसरा सं० ४८/१.५३८ हे०, १३४/०.५६६ हे० कुल ०२ खेत रक्वा २.१०४ हे० भूमि क्षतिपूर्ति हेतु प्रस्तावित की गई है। उक्त भूमि पर जंगल है, जिसका इस्तेमाल ग्रामीण चारा-पत्ती के लिए करते हैं। वर्तमान समय में किसी भी ग्रामीण द्वारा उक्त भूमि पर कृषि कार्य नहीं किया गया है। यह भूमि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग ९(३)ड के अन्तर्गत नॉन जेड०ए० ख०तौनी खाता सं० १०/११ में दर्ज अभिलेख है। प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

ग्राम	पट्टी	खाता संख्या	खसरा सं०	अर्जित रक्वा (हे०)	भूमि की किस्म
१	२	३	४	५	६
भदली	पौड़ीखाल	१०/१११	४८	१.५३८ हे०	उत्तराखण्ड सरकार वर्ग ९(३)ड
			१३४५म०	०.५६६ हे०	
			योग-	२.१०४ हे०	

प्रस्तावित जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चौण्डी से भदली-घटधार-थानकोट घेरा होते हुए सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण कार्य हेतु क्षतिपूर्क वृक्षारोपण के दृष्टिगत शासनादेश संख्या-२८८२/ख०वि०/११-१८(१२०)/२०१० राजस्व अनुभाग-२ दिनांक ११ नवम्बर २०११ एवं शासनादेश संख्या-२३६५/ख०वि०/१३-१८ (१२०)/२०१० टी०सी० दिनांक १४ अक्टूबर २०१३ के द्वारा प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार प्रस्तावित वन भूमि के सापेक्ष दुगुनी सिविल भूमि वन विभाग के नाम प्रत्यावर्तित किया जाना है। यह आदेश मा० उच्चतम न्यायालय/मा० उच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत आदेशों के अधीन होगा, तथा याचक विभाग को निर्गत आदेश का अनुपालन करना होगा।

अतएव शासनादेश संख्या:-२१७३/ख०वि०/२०१२-१८(१२०)/२०१० राजस्व अनुभाग-२ दिनांक १७ दिसम्बर २०१२ के क्रम में उप जिलाधिकारी टिहरी के द्वारा प्रस्तावित किये गये उपरोक्त खसरा नम्बरान मध्ये कुल रक्वा २.१०४ हे० सिविल भूमि उल्लिखित शासनादेशों के आलोक में व्यापक जनहित के दृष्टिगत वन विभाग उत्तराखण्ड के पक्ष में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु हस्तान्तरित की जाती है। तहसीलदार जाखणीधार तत्काल उक्त भूमि को राजस्व अभिलेखों में नामान्तरित/इन्द्राजी करना सुनिश्चित करे।

(इवा आशीष श्रीवास्तव)
जिला अधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

कार्यालय जिला अधिकारी टिहरी गढ़वाल।

संख्या-१६९ /XI-१९ (२०२०-२१) दिनांक, नई टिहरी, दिसम्बर, ०७, २०२१.

प्रतिलिपि:-

निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- १- सचिव, वन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- २- आयुक्त एवं सचिव राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- ३- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी।
- ४- नोडल अधिकारी, वन भूमि हस्तान्तरण, वन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
- ५- प्रभागीय वनाधिकारी, टिहरी वन प्रभाग, नई टिहरी।
- ६- अधिशासी अभियन्ता, अस्थायी खण्ड, लो०नि०वि० श्रीनगर मु०-कीर्तिनगर।
- ७- उप जिलाधिकारी जाखणीधार।
- ८- तहसीलदार जाखणीधार को अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला अधिकारी
टिहरी गढ़वाल।

प्रमाण पत्र अमल दरामद

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधानसभा क्षेत्र देवप्रयाग के अन्तर्गत चौण्डी से भदली-घटधार थानकोट घेरा होते हुये सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के नर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि हस्तान्तरण हेतु दोगुने 2.104 हे० वन भूमि में क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए ग्राम भदली ज०बि०र० खतोली संख्या 10/111 में दर्ज खसरा सं० 48/1.538 है०, 134/0.566 हे० कुल दो खेत रक्वा 2.104 हे० भूमि जो कि उत्तराखण्ड सरकार वर्ग न० 9(3) ड० बंजर भूमि है का वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण की गई है। उक्त 2.104 हे० भूमि वन विभाग के कब्जे में ले ली गई है। जो कि वन बीट अधिकारी.....पांडीखाल बीट.....के नियन्त्रण मे हो गई है।

अपर सहायक अभियन्ता

राजस्व उषानरीक्षक

21/06/2022
वन बीट अधिकारी
पांडीखाल बीट

कोसिया/बीट

30/6/22

जसवन्त सिंह पन्ना
उ००५४

वन क्षेत्राधिकारी


तहसीलदार

नगर रायना ग्राम नली बवली पट्टी पांडिवाल लहो पारवणी पार (रि. 03/0)

सं. नं०	रकम दे० मे	आदि रकम	विवरण	आदि का नाम
18	1.538	1.538	10/111	उ. स. वी. 9(3) उ. व. प.
134	1.056 म०	0.566	10/111	—
धौ 02	2.594	2.104	—	—

जस दे गलत उपा
 @m...
 2020 नि. पांडिवाल

उपरोक्त श्रुति अपर
 काज में ली गई।


 उपा
 पारसवल सिंह पार
 2020/18

महोदय

विमान उद्योग
उद्योग मंत्रालय (दिल्ली)

विषय: प्रस्ताव दिनांक 10/11/58 विमान उद्योग में वैकल्पिक के अन्तर्गत चौथी मंजरी सहायक
पानकोट क्षेत्र होते हुए प्रस्ताव विमान उद्योग के लिये पानकोट क्षेत्र के निर्माण हेतु 10/11/58
हेतु वन भूमि का गैर पारिधी कर्षी हेतु लोक निर्माण विभाग को पर्याप्त विवरण।

महोदय

प्रस्तुत विवरण सार अन्तर्गत कथना है कि मन्त्रालय के अधीन का प्लॉट
8 बीघा/ 500 सी.वर्गमी. 06/28/209/उ.क.सी. 1516 कि. 22-00-20-20 अन्तर्गत में
गरी है जो वन सम्पत्ति के अधीन है जो जंगल विभाग से प्राप्त है।
खसरा नं० 8-58, 134 का कुल क्षेत्रफल 1-00-22-20-20 हेतु प्रस्तावित है।
अन्तर्गत वन भूमि का सौदा प्रस्तावित किया गया अन्तर्गत खसरा नं० प्रस्ताव में
10 ख० 100 वर्ग मी. 100 वर्ग मी. है और अन्तर्गत वन भूमि का सौदा प्रस्तावित है।
अन्तर्गत वन भूमि का सौदा प्रस्तावित है।

श्री वि. वि. मन्त्रालय की सेवा में सम्प्रेषित

(Signature)
16-09-2091

विमान उद्योग
महोदय-मन्त्रालय
दिल्ली

श्री वि. वि. मन्त्रालय

दुर्गापुर जिला मन्त्रालय

प्रस्तावित क्षेत्र के विवरण

खसरा नं० के अन्तर्गत क्षेत्रफल

विस्तार में है अन्तर्गत क्षेत्र के

विवरण के अन्तर्गत क्षेत्र के

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)

(Signature)


महोदय मन्त्रालय दिल्ली खसरा नं० 134 के
0-49-0 हेतु क्षेत्रफल अन्तर्गत वन भूमि
मन्त्रालय के अन्तर्गत क्षेत्र के


(Signature)

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-३ (ग) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि सी०ए० क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है।



सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर


अधिशारी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-4 (क) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा एन०पी०वी० की निर्धारित धनराशि रू० 691164.00 को यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया के माध्यम से कैम्पा फंड में चालान द्वारा दिनांक 18.05.2021 को यह राशि जमा कर दी गई है।



सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर



अधिशारी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

18-05-2021
 (S) - 2/2021 - 5/2021

21/7/21 - 7/8/21

AGENCY COPY

Union Bank

Challan for collection of CAMPA fund

Date : 18-05-2021

CA - 709435.00
 NPV - 691164.00
1400599.00

Client Code.	CAM5089
Location.	UTTARANCHAL
Remitter Name.	PWD
PIF/Application No.	6135909566
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/28/2019/FC
Address.	T.D..P.W.D. SRINAGAR , H.Q. - KIRTINAGAR, TEHRI GARHWAL, UTTARAKHAND Tehri Garhwal
Remitter Contact No. Email-Id. Mobile No. Landline No.	eepwd@irtinagar@rediffmail.com 9412346710 1370-260070
Amount(in Rsl)	1400599-
Beneficiary Branch and Code.	Union Bank Of India Lodhi complex (03712)


Amount in Words Fourteen Lakh Five Hundred and Ninety-Nine Rupees Only

S
Executive Engineer
 P.W.D. Srinagar
 (Signature)
S. S. Khatiwara

Bank Official
 (Signature)

Bank's Transaction Number	Branch Stamp
0371220210607	<i>E</i>

- 166555
- Branches should use CMS menu (FCS & CAPS) to process the transaction
 - Challan should only be accepted against INST/DD.
 - Enter the Remitter Name in Additional Information 1
 - Enter the Remitter Mobile number in Additional Information 2



After making successful payment, User Agencies !!

Note: After making the required payment through c/ then kindly mail a copy of your challan with transac Email: epurse@unionbankofindia.com

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-4 (ख) का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि एन०पी०बी० की दरों में कोई बढ़ोतरी की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बड़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग के पक्ष में जमा कर दिया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर





अधिसारकी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-5 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 09 वृक्षों से अधिक नहीं होगी का कटान/पातन किया जायेगा। तथा प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।


सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर


अधिशासी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-6 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन०पी०वी० एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं अन्य धनराशि क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फंड में हस्तान्तरित/ जमा की जाने वाले धनराशि ई-पोर्टल के माध्यम से ही जमा की गई है।



सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर




अधिशारी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-7 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि गाईडलाईनस में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा-11.2 के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति वन विभाग को प्रेषित की जायेगी। साथ ही यह इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जायेगी।



सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर




अधिशासी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-८ का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एफ०आर०ए० 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण-पत्र के माध्यम से किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर



अधिशाली अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

प्रारूप सं० 30

FORM - I

(For linear Projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri Garhwal

No. 689 /XXVI-34(2017-18)

Dated 06/09/18.

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF), Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 1.052 hact. of forest land proposed to be diverted in favour of Public Works Department, Kirtiagar for Construction of Chaundi to Simlasoo Bend waya Bhadli, Ghatdhar, Thankot Ghera Motor Road in Tehri Garhwal District falls within jurisdiction of Amilda (Tok-Chaundi, Marora, Jamfi (tok- Bhadli, Ghatdhar, Thankot), Khandi (Tok-Ghera) Villages in Jakhanidhar tehsils.

It is further certified that:

- a) the complete process for identification and settlement of right under it FRA has been carried out for the entire 1.052 Hac. of forest land proposed for diversion. A copy of records of all consultation and meetings of the forest Rights Committees, Gram Sabha, Sub Division Level Committees and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30.2
- b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabha have given their consent to it.
- c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities.

Encl: As above


Signature

(सोनिका)
(जिला अधिकारी)
Distt. Collector
Tehri Garhwal

65


It is further certified that – Minutes of meeting of Chaundi to Simlasoo Bend waya Bhadli, Ghatdhar, Thankot Ghera Motor Road (5.275 km.) regarding FRA is as following.

Sr. No.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.052 Hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the forest rights committee(s), Gram (s), Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure to annexure.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional forest Dwellers.
(b)	The Diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram have given their consent to it.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate of concerned villages regarding construction of aforesaid motor road is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.	Yes copy of records attached as there are no habitants belonging to schedules tribes and other traditional Forest Dwellers.




जिला पंचायत सदस्य

जिला टिहरी गढ़वाल
जामरी, पिन-245101
जिला टिहरी गढ़वाल


जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला टिहरी गढ़वाल
जिला टिहरी गढ़वाल

प्रतिहस्ताक्षरित


प्रभोगीय वनाधिकारी
सुदामीसुन वनमधिकारी
नई टिहरी

प्रतिहस्ताक्षरित


जिलाधिकारी
टिहरी गढ़वाल

Signature

()
Distt. Collector

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT TEHRI GARHWAL (UTTARAKHAND)

Proceeding of the meeting of the District Level Committee constituted under Schedule Tribes & Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA) 2006.

A meeting of the District Level Committee Tehri Garhwal District. Constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of ~~Swat~~ (सोनि) I.A.S. District Collector Tehri Garhwal at New Tehri in which the applicant claiming rights in Devprayag Block area measuring 1.052 Hectare for the construction of Chaundi to Simlasoo Bend waya Bhadli, Ghatdhar, Thankot Ghera Motor Road in Tehsil Jakhaniidhar of forest land under FRA 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the Sub Division Level Committee of Sub Division were discussed to consider the same for admission by the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions no objection/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommended the above case for diversion for land for the said purpose.

Place :- Tehri

(सोनि)
जना अधिकारी
District Collector ~~Chairman~~
District Tehri Garhwal
New Tehri

प्रपत्र-

विषय- वन भूमि का निर्माण-

उपखण्ड स्तरीय समिति के अन्तर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लग्नाई 5275 कि०मी०)।

कार्यालय उप जिलाधिकारी जाखणीधार
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत

प्रमाण-पत्र

उपखण्ड स्तरीय समिति,

उपखण्ड जाखणीधार परिक्षेत्र के अन्तर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग (0.569 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.483 हे० सिविल सोयम भूमि, शून्य वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.052 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील जाखणीधार) की दिनांक 10/11/17 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री जयदीप चौरा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1-	<u>उपूर वर्मा</u>	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2-	<u>के.के. सिंह</u>	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य
3-	<u>सुबन चन्द्र मयईरपान</u>	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य / सचिव
4-	<u>जयदीप चौरा</u> <u>अनिल सिंह रघोपान</u>	वी०डी०सी० क्षेत्र चौड जयपुर जयदीप चौरा दशौली स्यूटा	सदस्य <u>वी.नाईवी</u> <u>जयदीप चौरा</u>





उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.052 हे० वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुमति दी गई है।


12

सम्पन्नता का प्रमाण-

जनपद विहार प्रभाग के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के सीमांत गांव भदली, घटभार, थानकोट, चेरु होते हुए ग्राम सिमलासू बौद्ध सभ क्षेत्र मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.275 कि०मी०)।

दिनांक 10/11/17 उमखण्ड स्तरीय समिति की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
जनपद- बि०प्र०

1.	श्री प्रति सुपुर वर्मा	उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	
2.	श्री नी.के.शिर्	उप प्रभागीय वनाधिकारी	सदस्य	
3.	श्री सुब्रह्मचर अपजिमान	सहायक समाज कल्याण अधिकारी	सदस्य/सचिव	
4.	श्री बीना देवी जशोदा देवी अंतर सिंह खलवत HARKE05	बी०डी०सी० क्षेत्र भा०५ जयपुर देशाली स्मूट। जायदी पि (स देवप्रयाग) की गांव देवी	सदस्य बीना देवी जशोदा देवी	


सहायक अभियंता
4020, नो०नि०वि०
कीर्तिनगर (स०-देवप्रयाग)

४३

परियोजना का नाम

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (6-549 हे० आरक्षित वन भूमि, 6-483 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1-052 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

वन अधिकार अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- आमिन्दा

तहसील जाखणीधार जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (6-549 हे० आरक्षित वन भूमि, 6-483 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1-052 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत आमिन्दा


द्वारा दिनांक 13-5-2017 को


सम्वन्त ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2003 के पंक्तिगतों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।


चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम आमिन्दा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।




ग्राम सचिव



ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत आमिन्दा
बि०ख० ६०३०० टिहरी गढ़वाल


ग्राम पंचायत आमिन्दा


अध्यक्ष आमिन्दा
बि०ख० ६०३०० टिहरी गढ़वाल
(पंच-देवप्रयाग)

दिनांक 13/05/2017 को नाम रत्ना की समान वि.पू.क की उपस्थिति
मान पंजावत

क्रमांक	ग्राम रत्ना में उपस्थित बरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	इस्ताथर
	कमल सिंह कमल सिंह	कमल सिंह
	शारी खी देवी	शारी खी
	चन्दे	चन्दे
	नारण सिंह	नारण
	साकला	साकला
	भुइ	भुइ
	शोपनी	शोपनी
	दमनी देवी	
	बाला देवी	
	मेमम नरेश इशकाल	
	पता राव	पता राव


सहायक अध्यक्ष
ग्राम पंचायत
पंजावत


ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम- जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत चौण्डी, नदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (6.569 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.483 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.052 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- मरोड़ा

तहसील जाखणीधार जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत चौण्डी, नदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (6.569 हे० आरक्षित वन भूमि, 0.483 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 1.052 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।


उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत मरोड़ा द्वारा दिनांक 21-12-16 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।


चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम मरोड़ा के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम मरोड़ा
क्षेत्र पंचायत जाखणीधार
जिला टिहरी गढ़वाल

ग्राम प्रधान


सहायक अभियन्ता
मोबा. नं. 9896010100
कीर्तिनगर (प्रयाग)




(76)


दिनांक 21-12-16

का ग्राम सभा में सभ्यता नेटक की

ग्राम न्यायालय

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	उत्तम सिंह शं० कुलोत्त सिंह	उत्तम सिंह
2	अबल सिंह शं० " "	अबल सिंह
3	सबल सिंह शं० " "	सबल सिंह
4	दरी सिंह शं० गैला सिंह	दरी सिंह
5	कपूर सिंह शं० बलवात्त शं० मोर सिंह	कपूर सिंह
6	बलवीर सिंह शं० गुलाब सिंह	बलवीर सिंह
7	अतरा सिंह शं० स्व. श्री रामा सिंह	अतरा सिंह
8	बीर सिंह शं० सुन्दर सिंह	बीर सिंह
9	प्रेम लाल शं० सुन्दर गिहानी	प्रेम लाल
10	पुरन सिंह शं० कल्याण सिंह	पुरन सिंह
11	पद्मनाभ सिंह शं० सुन्दर सिंह	पद्मनाभ सिंह
12	किशोरी लाल शं० बच्चू भिखी	किशोरी लाल
13	देव सिंह शं० चन सिंह	देव सिंह
14	दीरामणी शं० राम प्रसाह	दीरामणी
15	नेवल सिंह शं० चन्क सिंह	नेवल सिंह
16	प्रेम सिंह शं० सुन्दर सिंह	प्रेम सिंह
17	राम सिंह शं० काला सिंह	राम सिंह
18	लावन सिंह शं० मोर सिंह	लावन सिंह
19	रंगवीर सिंह शं० " "	रंगवीर सिंह
20	पुष्प लाल शं० लखन सिंह	पुष्प लाल
21	अनवर सिंह शं० अमर सिंह	अनवर सिंह
22	कसम सिंह शं० लाल सिंह	कसम सिंह
23	प्रेम सिंह शं० राजीव सिंह	प्रेम सिंह
24	महापाल सिंह शं० मोर सिंह	महापाल सिंह


 सहायक समित्यक
 40/10
 कीर्तिनगर


 Gram Sabha

40/-
 ग्राम प्रधान

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल के जिला सभा क्षेत्र डेवाधार के अंतर्गत चौंड़ी भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य। (लम्बाई 5.275 कि०मी०)।

वन अधिकार अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- जामटी

तहसील जाखणीधार जिला टिहरी गढ़वाल

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के अंतर्गत चौंड़ी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग की परियोजना के निर्माण हेतु (6.549 हे० आरक्षित वन भूमि, 6.483 हे० सिविल सोयम भूमि, 0.00 वन पंचायत भूमि) अर्थात् कुल 13.032 हे० वन भूमि का लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।


उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत जामटी द्वारा दिनांक 16/04/19 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2003 के प्रावधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम जामटी के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग कीर्तिनगर प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जा सत्य एवं सही है।

ग्राम सचिव

16/04/19
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत जामटी
बि०स० ६१२ टिहरी गढ़वाल



[Signature]
सहायक अधिवक्ता
वन विभाग
कीर्तिनगर (उ०प्र०)

दिनांक 16/04/17 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति
ग्राम पंजीयत

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	मन्दीरा	[Signature]
2	ज्योति प्रसाद पन्ना	[Signature]
3	ज्योति प्रसाद पन्ना	[Signature]
4	पुष्प जाल	[Signature]
5	सुबोधन पन्ना राजकोट	[Signature]
6	ज्योति प्रसाद	[Signature]
7	लक्ष्मी प्रसाद	[Signature]
8	कमल एन.क	[Signature]
9	गोविन्द राव	[Signature]
10	केशव एन.क	[Signature]
11	गणेश पन्ना	[Signature]
12	रमेश प्रसाद	[Signature]
13	लक्ष्मी देवी	
14	पद्म देवी	[Signature]
15	राजेश प्रसाद	[Signature]
16	सीमा राव	[Signature]
17	बन्धु	[Signature]


[Signature]
 ग्राम सभा अध्यक्ष
 प.स.स. 1910-देवप्रयाग

हो/ [Signature]
 ग्राम प्रधान


मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-09 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई०आर०सी० मानदण्डों के अनुसार सड़क को दोनो किनारें एवं बीचों बीच पर पौधों की संख्या बढ़ाई जायेगी।



सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर





अधिशायी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-10 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साईनेज लगाये जायेंगे।


सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर


अधिशासी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-11 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण संरक्षण 1986 के प्राविधानों के अनुसार यदि आवश्यक हो तो पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।



सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर





अधिशासी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-12 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।


सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर


अधिशायसी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-13 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर



अधिशाली अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-14 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी श्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा, जिससे निकटवर्ती वनों को क्षति न पहुंचे।



सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर





अधिशारी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-15 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वनभूमि का परियोजना की लागत पर आर०सी०सी० पिल्लरों द्वारा सीमांकन राजि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत प्राक्लनानुसार धनराशि वनविभाग के पक्ष में रू० 3009600.00 की धनराशि ड्राफ्ट (ड्राफ्ट सं०-460313) के माध्यम से इस कार्यालय के पत्रांक 1624/33सी० दिनांक 02.09.2024 द्वारा प्रभागीय वनाधिकारी टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी को प्रेषित कर दिया गया है।


सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर


अधिशाली अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर



कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु०- कीर्तिनगर



Phone no./Fax no. 01370-260070

E.mail- eepwdkirtinagar@rediffmail.com

पत्रांक 1624/33 सी

दिनांक 02/09/2024

सेवा मे,

प्रभागीय वनाधिकारी,
टिहरी वन प्रभाग,
नई टिहरी।

विषय - जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा हांते हुए ग्राम सिमलासू ब्रेण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्या हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

सन्दर्भ - भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं०-8बी०/यू०सी०पी०/०६/२८/२०१९/एफ०सी०/१६१६ दिनांक २२.१०.२०२०

महोदय,

उपरोक्त विषयक भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में उक्त विषयक मार्ग के वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरण पर कतिपय शर्तों के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। जिसके शर्त सं० १५ के सीमांकन और स्तंभन की धनराशि प्रभागीय वनाधिकारी के पक्ष में जमा करने हेतु लिखा गया था, उक्त के क्रम में राजि अधिकारी टिहरी द्वारा सीमांकन का आगणन रु० ३००९६००.०० का गठित कर इस खण्ड को प्रेषित किया गया है। जिसके सापेक्ष उक्त धनराशि का डिमाण्ड ड्रापट सं० ४६०३१३ आपको प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त मागड्रापट की प्राप्ति रसीद इस कार्यालय को लौटाने की कृपा करें ताकि विधिवत स्वीकृति की कार्यवाही की जा सके।


संलग्न - ड्रापट सं० ४६०३१३ दिनांक ३१.०८.२०२४

(इं० मौ० आरिफ खान)
अधिशासी अभियन्ता
अ०ख०, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु०- कीर्तिनगर

दिनांक 02/09/2024

पत्रांक 1624/33 सी

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता अ०ख० लो०नि०वि० कीर्तिनगर मु०-देवप्रयाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त।



अधिशासी अभियन्ता
अ०ख०, लोक निर्माण विभाग
श्रीनगर मु०- कीर्तिनगर

State Bank of India
Branch: SR GAR(GARHWAL)
CODE No: 03181
01346-252173

मागझापट
DEMAND DRAFT

Sr No: 197475

DDMMYYYY
31-09-2017
या उनके आदेश पर

मातो जानेपर PRABHAGIY VANADHIKARI TEHRI VAN PRABHAG NEW TEHRI.....

OR ORDER

ON DEMAND PAY
रुपय RUPEES thirty Lakh Nine Thousand Six Hundred Only

3009600.00


अदा करें ₹

AMOUNT BELOW 3009601(0/7)

मूल्य प्राप्त / VALUE RECEIVED

000547460313
Name of Applicant Key: SOCJAT Sr. No: 197475
UPKOSHADHIKARI

भारतीय स्टेट बैंक
STATE BANK OF INDIA
अदाकर्ता शाखा / DRAWEE BRANCH: NEW TEHRI TOWNSHIP
/CODE No: 08981



Handwritten signature of Branch Manager
BRANCH MANAGER

कम्प्युटर द्वारा मुद्रित होने पर ही वैध
VALID ONLY IF COMPUTER PRINTED

केवल 3 महीने के लिए वैध है
VALID FOR 3 MONTHS ONLY

₹ 500 करोड़ एवं अधिक के रिजर्व बैंक की अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित होने पर ही वैध है।
INSTRUMENTS FOR ₹ 500 CR. & ABOVE ARE NOT VALID UNLESS SIGNED BY TWO OFFICERS

9
8
7
6
5
4
3
2
1

⑈460313⑈ 000002000⑈ 000547⑈ 16

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-16 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना कार्य के निष्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वनक्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर




अधिशारी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-17 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनाओं के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर




अधिशाली अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-18 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेन्सियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।



सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर





अधिशारी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-19 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के पत्र सं० 8वी०/यू०सी०पी०/०६/२८/२०१९/एफ०सी०/१६१६ दिनांक २२.१०.२०२० द्वारा अधिरोपित सभस्त शर्तों का उल्लंघन नहीं किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर


अधिशारी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधर, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-20 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर अन्य शर्त लागू की जाती है तो प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उसका भी पालन किया जायेगा।



सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर




अधिशारी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-21 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा परियोजना निर्माण के दौरान पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगी कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जायेगी। निस्तारण स्थलों को वन विभाग को सौंपने से पूर्व इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जायेगा, तथा मलवा निस्तारण क्षेत्र में कटाई नहीं की जायेगी।



सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर





अधिशासी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-22 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/ अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना प्रयोक्ता अभिकरण की जिम्मेवारी होगी।



सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर



अधिशारी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

मार्ग का नाम – जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के अंतर्गत चौण्डी, भदली, घटधार, थानकोट, घेरा होते हुए ग्राम सिमलासू बैण्ड तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.052 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तनके सम्बन्ध में।
(ऑनलाइन प्रस्ताव सं FP/UK/ROAD/35909/2018)

शर्त सं०-23 का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार के पत्र सं० 8वी०/यू०सी०पी०/06/28/2019/एफ०सी०/1616 दिनांक 22.10.2020 द्वारा अधिरोपित समस्त शर्तों की अनुपालन आख्या ई-पोर्टल पर अपलोड कर दी जायेगी।


सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर


अधिशारी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर